न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:— श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

1—अपील संख्या 11/2016

सुभाष पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. गोमन्ददास पुत्र फुसादास जाति स्वामी निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. उम्मेद सिंह पुत्र दुलेसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

—रैस्पोंडेंट्स

2—अपील संख्या 12/2016

रामलाल पुत्र रेवन्तराम जाति स्वामी निवासी रतासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. गोमन्ददास पुत्र फुसादास जाति स्वामी निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. सुभाष पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. उम्मेद सिंह पुत्र दुलेसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

—रैस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधि. 1956

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ दिनांक 31.12.2015

30/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितिः—

श्री आनन्द स्वामी अभिभाषक अपीलांट अपील सं. 11/2016 एवं रेस्पो. सं. 2 अपील सं. 12/2016

श्री अशोक छाबड़ा अभिभाषक अपीलांट अपील सं. 12/2016

श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 अपील सं. 11/2016 व 12/2016

निर्णय

दिनांक :— 30.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दोनों अपीलों के अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 31.12.2015 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो. गोमन्ददास को चक 1 KSPM-A के प. नं. 31/4 के कि.नं.1 की स्मालपेच में आवंटित 0.253है0 भूमि के सम्बन्ध में पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपील सं. 11/2016 के विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है। रेस्पो. को आवंटित भूमि अपीलांट की भूमि से चिपती हुई है एवं मौके पर कब्जा काश्त भी रेस्पो. का है। अतः अधी. न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपील सं. 12/2016 के विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट की भूमि से चिपती हुई है। अपीलांट को अधी. न्यायालय में न तो पक्षकार बनाया गया और न ही कोई नोटिस जारी किया गया। अपीलांट ने अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपील के साथ 96 सीपीसी का प्रा.पत्र किया गया है। अधी. न्यायालय ने रेस्पो. गोमन्ददास को फायदा पंहुचाने की गरज से निर्णय पारित किया है।

30/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है। अतः अधी. न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील सं. 12/2016 के अपीलांट द्वारा अपील के साथ 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है। रेस्पो. द्वारा उक्त प्रा.पत्र का जवाब मय शपथ पत्र पेश कर खण्डन नहीं किया है। अतः न्यायहित में अपीलांट का 96 सीपीसी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील सं. 11/2016 सुभाष बनाम गोमन्ददास आदि व अपील सं. 12/2016 रामलाल बनाम गोमन्ददास आदि दोनों ही अपीलें अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 31.12.2015 के विरूद्ध पेश हुई जो एक ही बिन्दु से सम्बन्धित होकर एक साथ निर्णय किया जाता है जिसमें रेस्पो. गोमन्ददास को आवंटित स्मालपेच की भूमि में दो Controdictory आदेश यथा 19.03.2015 व 31.12.2015 पारित होने से अधी. न्यायालय के आवंटन आदेश को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन, अधी. न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 19.03.2015 में विवादित आराजी का आवंटन निलामी के जरिये आवंटन का निर्णय होना प्रमाणित है। इसी अनुरूप निर्णय लिखाया जाकर हस्ताक्षरित होना पत्रावली पर उपलब्ध है जिसका कियात्मक भाग है कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज नक्शा मौका अनुसार चक 1 KSPM-A के प.नं. 31/4 के किला नं. 1 में 0.253हैक्टर कमांड भूमि आराजी राज दर्ज है, जो स्मालपेच श्रेणी की है तथा यह भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी 2 के मुरब्बा में है तथा दोनों की भूमि के चिपते है। मुरब्बा के

30/11/17
राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अन्य काश्तकार बलविन्द्रसिंह आदि के भी सरकारी भूमि का कोना चिपता है। सरकारी भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी 2 की भूमि के चिपते है। आवंटन नियम 1975 क नियम 14(2) अनुसार स्मालपेच भूमि आवंटन के एक से अधिक आवेदक हो तो आवंटन जरिये नीलामी किया जावेगा। प्रार्थी व अप्रार्थी 2 एक ही मुरब्बा के खातेदार काश्तकार है। इसलिए सेम मुरब्बा के काश्तकार होने से भूमि जरिये नीलामी आवंटन की जानी उचित है। इससे राज्य सरकार को भी अधिक आय प्राप्त होगी। अतः प्रकरण में वर्णित चक 1 KSPM-A के प.नं. 31/4 के किला नं. 1 की 0.253हैक्टर कमांड भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी 2 के मध्य जरिये नीलामी आवंटन करने के आदेश दिये जाते हैं। नीलामी हेतु तारीख पेश 10.04.2015 निर्धारित की जाती है। इस निर्णय के विरूद्ध गोमददास पुत्र पूरणदास द्वारा इस आशय की अपील इस न्यायालय मे पेश की कि पड़ोसी काश्तकारों को निलामी कार्यवाही से बाहर किया जाए क्योंकि सन्दर्भ भूमि गोमददास के कब्जे में है जो प्रकरण सं. 48/2015 गोमन्ददास पुत्र फुसाराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दर्ज होकर निर्णय दिनांक 26.11.2015 द्वारा वर्तमान रेस्पो. की उक्त अपील खारिज की गई तथा मूल पत्रावली अधी. न्यायालय में भेजी गई जो पुनः दर्ज रजिस्टर होकर एक Adjoining काश्तकार उम्मेदसिंह से Nexus कर विवादित भूमि गोमददास को आवंटित किये जाने की सहमति तथा दूसरे आवेदक सुभाष का आवेदन खारिज कर विवादित भूमि निलामी के बजाये रेस्पो. को अकेला आवेदन मानकर डी.एल.सी. की आधी दर से विवादित आराजी रेस्पो. गोमन्ददास को आवंटित की जो प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध आवंटन होकर राज्य सरकार को क्षति पंहुचाने वाला जाहिर है, इस आदेश के विरूद्ध सुभाष पुत्र मोहनलाल के अलावा रामलाल पुत्र रेवन्तराम ने भी Adjoining काश्तकार होकर विवादित आराजी जरिये निलामी आवंटन करने की prayer की।

30/11

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने, उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के बाद यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.12.2015 Autocratic decision जो एक व्यक्ति गोमंददास को लाभ पंहुचाने वाला तथा राज्य सरकार को हानि पंहुचाने वाला है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.12.2015 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि न केवल अपीलांट से अपितु जो भी Adjoining काश्तकार जो निलामी में भाग लेने की पात्रता रखता है उन्हें मौका दिये जाने हेतु समस्त विधिक प्रकियाए पूर्ण कर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से आवंटन की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर